

# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 12/2021 FSSA

- सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

- श्री गंगासहाय पुत्र श्री लिक्ष्मण राम साहू मैसर्स—गंगासहाय रमेश चन्द, गणेश चौक, महवा दौसा  
निवासी तेली मौहल्ला महवा जिला दौसा ।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।

: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित ।

—: आदेश :—

दिनांक:— 10.11.2021



संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नाटाफकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये हैं और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आते हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 25.03.2021 को दोपहर 12:40 बजे मैसर्स—गंगासहाय रमेश चन्द, गणेश चौक महवा दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री गंगासहाय पुत्र श्री लिक्ष्मण राम साहू विक्रेता के पास उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स न होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक खुले मुंह के पीपे में करीबन 10 किग्रा घी(लूज) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर 800 ग्राम घी(लूज) को हिलामिलाकर एक साफ सूखे एवं खाली एल्यूमिनियम के डिब्बे में नमूने की जाँच हेतु खरीदा। जिसकी कीमत 400 रुपये नकद देकर माल खरीद रसीद प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा घी(लूज) को चार साफ सूखी एवं खाली बोतलों में बराबर—बराबर डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा बोतलों पर चिपकाकर बोतलो को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलो पर चिपकाकर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—2628 उपर से नीचे पूरे राउण्ड में गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार—चार जगह

से उपर नीचे दोनो साइडो में चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहन को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहन के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं० 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं० 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं० 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 26.03.2021 को खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं० 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 26.03.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं० 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 26.03.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ घी(लूज) के नमूने की खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./306/एक्ट/2021/483 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./306/एक्ट/2021/483 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी(लूज) के नमूने में Butyro-refrecometer reading 47.5 प्राप्त हुई है। जो कि 40 से 43 के बीच होनी चाहिए थी। साथ ही Reichert meissel value 19.47 प्राप्त हुई है जो कि 26 से कम नहीं होनी चाहिए थी। इस कारण से उक्त खाद्य पदार्थ घी(लूज) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ घी(लूज) का बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन के विक्रय किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी के यहा से लिया गया घी का नमूना अमान्य स्तर का पाया गया है। हम घी(ब्रजवासी) का पैक टिन खरीदकर दुकान पर उसे लूज करके विक्रय किया जाता है। हमारे द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। हम भविष्य में लूज घी का विक्रय नहीं करेंगे। अनजाने में हुई गलती के लिये कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या



एल.एस./306/एक्ट/2021/483 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी(लूज) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ घी(लूज) का बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन के विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री गंगासहाय पुत्र श्री लिक्ष्मण राम साहु मैसर्स- गंगासहाय रमेश चन्द, गणेश चौक महवा जिला दौसा निवासी तेली मौहल्ला महवा जिला दौसा पर 25000/- ( अक्षरे पच्चीस हजार रुपये ) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 10.11.2021 के एक माह के अन्दर-अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया



क्रमांक /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री गंगासहाय पुत्र श्री लिक्ष्मण राम साहु मैसर्स-गंगासहाय रमेश चन्द, गणेश चौक, महवा दौसा निवासी तेली मौहल्ला महवा जिला दौसा।

( आर. के. मीना )

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा  
दिनांक:- .11.2021

( आर. के. मीना )

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा